भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3091

09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मध्य प्रदेश में आयुष

3091. श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के देवास जिले में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत पहचाने गए समूहों/क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में आज की तिथि तक एनएएम के अंतर्गत स्थापित नर्सरी, फसल कटाई के पश्चात् प्रबंधन इकाइयों और विपणन अवसंरचना का ब्यौरा क्या है:

(ग) यदि नहीं, तो इस अवसंरचना का विकास न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) मध्य प्रदेश के देवास संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत आज की तिथि तक निवेश की गई कुल राशि और भविष्य में नियोजित निवेश का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत औषधीय पादपों के घटक को 2020-21 तक मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया था। उसके बाद 2021-22 से औषधीय पादपों के घटक को एनएएम योजना से अलग कर दिया गया था। उस घटक के तहत 15 किलोमीटर के दायरे में औषधीय पादपों की खेती के लिए न्यूनतम 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों के समूह बनाने का प्रावधान था, जिसके तहत आयुष मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक मध्य प्रदेश में किसानों के 206 समूहों को सहयोग प्रदान किया था। मध्य प्रदेश के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने एनएएम के तहत, मध्य प्रदेश के देवास जिले में औषधीय पादपों की खेती के तहत, 242.2 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए 329 किसानों की पहचान की और उन्हें सहयोग प्रदान किया।

(ख) और (ग): आयुष मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 के दौरान, एनएएम के तहत, मध्य प्रदेश को औषधीय पादपों की खेती के तहत, 12551 हेक्टेयर क्षेत्र, 63 कटाई के बाद प्रबंधन इकाइयों, 01 विपणन अवसंरचना के लिए सहयोग दिया था और 1585.18 लाख रुपये जारी किए गए।

(घ): मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एनएएम के तहत, देवास संसदीय क्षेत्र में 711.80 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। चूंकि, एनएएम योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, इसलिए वह देवास संसदीय क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश राज्य में आयुष पद्धतियों के विकास और संवर्धन के लिए एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

*****